year of 1989. LCs were established on behalf of 5 units at Cotton Street Branch and for 8 units at Brabourne Road Branch. As the borrowers did not retire the bills under these LCs on the due dates, the amount thereof had to be paid to the exporters' bank by creating overdrafts. Some L.C. bills are yet to be received. The branch-wise net liability is reported to be as under:—

(Rs. in lacs)

Name of branch	As on 10-3-89	As on 22-7-89
Cotton Street	390.21	302.76
Brabourne Road	65.60	64.10

(e) According to the Bank, the recovery is forthcoming gradually. Further, the Bank is said to be making attempts towards recovering and strengthening the security. A senior officer has been posted at Calcutta for follow-up and recovery.

(f) The Branch Managers of both the branches have since been replaced. Explanation of erring officials have been called for by the Bank.

नशीले पदार्थों की तस्करी पर औषधि नियंत्रण कानून का प्रभाव

3112. **डा० रत्नाकर पाण्डेय:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषधि (नियंत्रण) अधिनियम का संशोधन किए जाने के पश्चात नशीले पदार्थों की तस्करी में कितने प्रतिशत कमी हुई है; और

(ख) सरकार ने तस्करी रोकने के लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के अंतर्गत क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा) : (क) और (ख) स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 2) को 29.5.1989 से लागू किया गया था। इसकी प्रभावकारिता के संबंध में कोई विशेष मूल्यांकन करना अभी जल्दबाजी होगी। संशोधन अधिनियम द्वारा दांडिक उपबन्धों को और कड़ा बनाने के साथ-साथ इसमें ऐसे विनिर्दिष्ट अपराधों के सम्बन्ध में, जिनमें कतिपय नशीले औषध द्रव्यों की विनिर्दिष्ट मात्रा शामिल हो, दूसरी बार दोष सिद्ध हो जाने पर मृत्यु दण्ड देने की, अवैध व्यापार से प्राप्त की गई अथवा इसमें प्रयोग की गई सम्पति को जब्त करने, नशीले औषध द्रव्यों का अवैध व्यापार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध तेजी से मुकदमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन करने, पकड़े गए औषध द्रव्यों का मुकदमे से पूर्व निपटान करने के लिए, नशीले औषध द्रव्यों के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने आदि के लिए एक राष्ट्रीय निधि के बनाए जाने की व्यवस्था है। उपर्युक्त अधिनियम के तहत किए गए उपायों से नशीले औषध द्रव्यों की तस्करी को रोकने में पर्याप्त रूप से सहायता मिलेगी।

Facility of duty-free import of capital goods for textile mills

3113. DR. RATNAKAR PANDEY: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal which will allow the facility of duty-free imports of capital goods to some selected export oriented textile mills; and

(b) if so, what are the details thereof?